mobilised by the Central Government for supporting national programmes for control of diseases such as AIDS, Malaria, T.B., Leprosy and Blindness.

Secondary health facilities are also being upgraded in selected States with World Bank assistance.

Development of Indian systems of medicine and Homoeopathy is being encouraged to widen the network of health services available to the people. A comprehensive project for reproductive and child health caters to the special requirements of women and children.

आम बजट में नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत

1048. **श्री अखिलेश दास:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के आम बजट में घोषित नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है;

(ख) उन नई परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं, जिनके लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके संदर्भ में अब तक पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए चालू बजट में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) से (घ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यतः नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अतः नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा किसी प्रकार की तकनीकी मंजूरी दी जानी अपेक्षित नहीं है।

तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त शक्तियों से आगे पूंजीगत व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेश अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं:—

(i) इफको: नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश में ग्रासरूट यूरिया संयंत्र।

(ii) कृभको: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में नया यूरिया संयंत्र (एफ सी आई के गोरखपुर संयंत्र की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करके)

हजीरा, गुजरात स्थित संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिए हजीरा चरण-II परियोजना।

(iii) आर सी एफ: थाल संयंत्र की यूरिया क्षमता का विस्तार।

(iv) एन एफ एल: पानीपत स्थित संयंत्र की यूरिया क्षमता का विस्तार।

चूंकि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, अतः इनके लिए 1998-99 बजट में निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निम्नलिखित परियोजनाएं वर्ष 1998-99 के लिए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के बजट में सम्मिलित की गई हैं:—

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	नई परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
		(रु० करोड़)
(I) इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि०	गंधार (गुजरात) में एक्रियोनिट्रायल का निर्माण	652.00
(II) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	(I) फीनोल एकक (कोचीन) का विस्तार	45.00
	(II) टैंक टर्मिनल (न्यू मंगलूर पोर्ट)	36.00
(III) हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड	दिल्ली एकक की अन्यत्र स्थापना	40.00

क्रम सं० (i) और (ii) पर निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया

है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

क्रम सं० (i) पर निर्दिष्ट परियोजना को निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। क्रम सं० (ii) पर निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभाग द्वारा कोई अनुमोदन दिया जाना आवश्यक नहीं है। क्रम सं० (iii) पर निर्दिष्ट परियोजना, जिसे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के दिल्ली एकक की अन्यत्र स्थापना सम्मिलित है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सहायता के लिए इस विभाग के 1998-99 के बजट में 1.00 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल की गई है। अन्यत्र स्थापना स्थल को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

प्रमुख उर्वरक संयंत्रों के समक्ष पेश आ रहा वित्तीय संकट

1049. **श्री अखिलेश दास:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख उर्वरक संयंत्र वर्तमान में भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय संकट के लिये कौन-कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या देश के संयंत्रों के रख-रखाव तथा विकास योजनाओं के लिये बजट में कम प्रावधान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस स्थिति से निपटने के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान उर्वरक एककों का वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है। जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रमों और 2 बहु राज्यीय सहकारी समितियों में से सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों को इस वर्ष के दौरान हानि हुई है।

उन उपक्रमों को हुई हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी): प्रौद्योगिकीय डिजाइन और उपकरण त्रुटिया, बारम्बार उपकरण खराबी, फीटस्टाक बाधा, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंध समस्या, फालतू जनशक्ति और संसाधन बाधाएं।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई): उपर्युक्त के अनुसार

पाइराइट्स फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (पी पी सी एल): एस एस पी पर से नियंत्रण समाप्त करना और रियायत के संवितरण में विलम्ब, पाइराइट्स आधारित सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन का अंतर्निहित लागत हानि, अमझौर में पाइराइट्स खनन की प्रचालन लागत मे वृद्धि, मंजूरी में गहरे भूमिगत खनन की बढ़ती हुई लागत और बढ़ी हुई परिवहन लागत।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पी पी एल): सल्फयूरिक और फास्फोरिक एसिड संयंत्रों का कम क्षमता उपयोग, रुपए के मूल्य में गिरावट डी ए पी पर रियायत में कटौती और ठेका श्रमिक समस्याएं।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम एफ एल): पुनरुद्धारित परियोजना के प्रारम्भण में विलम्ब, रुपए के मूल्य में गिरावट, फीडस्टाक की बढ़ी हुई लागत और मिश्रित उर्वरकों पर रियायत में कटौती। हानि उठा रहे उपक्रमों के प्रचालनों को कारगर बनाने हेतु किये गये प्रयासों के अलावा, उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एच एफ सी के नामरूप एकक के पुनरुद्धार हेतु स्कीम स्वीकृत कर दी गई है। इन एककों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने के प्रबंध भी किये गये हैं।

एच एफ सी तथा एफ सी आई के अन्य एककों के संबंध में एकक-वार व्यवहार्यता विचारों के आधार पर स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

(ii) एम एफ एल ने अपने संयंत्रों की उत्पादकता मियाद में वृद्धि करने, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने तथा खपत मानकों सुधार करने हेतु अभिकल्पित अपनी महत्वपूर्ण विस्तार तथा आधुनिल की-

करण परियोजना प्रारम्भ की है। पुनरुद्धारित यूरिया संयंत्र में उत्पादन सुस्थिर हो गया है जिसने वाणिज्यिक उत्पादन 01.01.1998 को शुरू किया था। शेष प्रारम्भिक समस्याए न निराकरण हेतु प्रक्रिया लाइसेंसर को बताई गई हैं।